तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
२७ 4/18	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। लोक अदालत की भावना से प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट रजवाना २.५.१8 को पेश हो।	
२ 5/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट रजवाना में आज पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी भूरा वगैरह उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसके अनुसार प्रार्थी की ग्राम चैनपुरा पटवार क्षेत्र रजवाना स्थित खातेदारी भूमि खसरा 1082, 1082/1431 1083, 1136 लगायत 1151 तक खसरा 1142 व 1077 के मध्य स्थित मेड़ पर से तीन फुट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजूद है जो कि खसरा 1151 की दक्षिणी सीमा पर आकर लगता है परन्तु यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। मौके पर वर्तमान में इस रास्ते को खसरा 1152 के रिकॉर्ड खातेदार श्री नारायण, सेवरलाल, रामफूल, पप्पु, रमेश, गणपत, अशोक, भूरा पि० बजरंगा एवं खसरा 1077 के खातेदार रामलाल, सीताराम, रामफूल, पांचू, श्योजी पि० भोल्या जाति माली द्वारा कांटेदार बाड़ लगाकर अवरुद्ध किया हुआ है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी संदर्भित खातेदारी भूमि पर आने जाने (कृषि कार्य हेतु) खसरा 1077 में २५×५ वर्गमीटर = ९६ वर्गमी० खसरा 1152 में से २५×५ वर्ग मीटर = ९६ वर्गमी० रास्ते हेतु नियमानुसार दिया जा सकता है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थी के खसरा 1152 व 1077 की मेड़ पर से कृषि कार्य हेतु पूर्व से आने जाने बाबत कथन किया। प्रार्थी द्वारा दि० 18.6.२००१ को विक्रेता श्री बजरंगा पु० बाल्या, मौजी, बद्री, बजरंग पि० नन्दा माली द्वारा सीताराम पु० रामनारायण माली (प्रार्थी स्वयं) क्रेता के पक्ष में ग्राम चैनपुरा स्थित गत खसरा २६१ रकबा दस	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	बिस्वा सम्पूर्ण के विक्रय किये जाने संबंधी पंजीकृत विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करते हुए विक्रय पत्र में अंकितगत खसरा 269 जिसके वर्तमान न० 1082 व 1082/1431 बने है का विक्रय करते हुए विक्रेता द्वारा उक्त ख.सं० में आने जाने हेतु गत खसरा 272 (वर्तमान ख.सं० 1152) से आने जाने यानि आवागमन का रास्ता तत्समय होने एवं भविष्य में भी इस रास्ते का उपयोग करने संबंधी लिखित कथन को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया। इस पंजीकृत दस्तावेज के विषय में अप्रार्थी भूरा वगै० द्वारा यह स्वीकारात्मक किया गया कि पंजीकृत विक्रयपत्र उनके पिता द्वारा किया गया है यह स्वीकार है परन्तु वर्तमान में उनके द्वारा बंद किये गये रास्ते को खोलना/रास्ता देने बाबत असहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन कर, रिपोर्ट तहसीलदार व अन्य दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के मौखिक कथन पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम चैनपुरा में स्थित है में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क (2) के तहत रास्ता दिया जाना उचित है। अतः ग्राम चैनपुरा स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा 1082, 1082/1431, 1083, 1136 लगायत 1151 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने, कृषि संयत्र लाने जाने हेतु पूर्व में उपयोग में आ रहे रास्ते जो कि मौके पर अवरुद्ध है को अवरोध हटा चालू करवाया जावे एवं ग्राम चैनपुरा में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित ख.सं० 1077 में से 24×4 वर्गमी० = 96 वर्गमी. तथा खसरा 1152 में से 24×4 वर्गमी. = 96 वर्गमी० भूमि, वर्तमान डी.एल.सी. दर से उक्त भूमि 96 वर्गमी. + 96 वर्गमी० का मूल्यांकन कर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि के बदले देय राशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाने या अप्रार्थीगण को दिये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर प्रार्थी का कृषि कार्य हेतु आवागमन सुनिश्चित किया जावे। क्रमशः	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	तहसीलदार चौपका करवाड़ा को देय राशि की गणना कर प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी को राशि जमा करवाने अप्रार्थीगण को राशि प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो दर्ज न० से कम हो।	

Scanned by CamScanner